



SU/FIN/F-3/2018/99/Vol-I/1941

दिनांक: 18.03.2020

परिपत्र - 11/2020

विश्वविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रभारी तथा अध्ययन विद्यापीठों के डीन के सूचनार्थ है कि माननीय कुलपति ने शुल्क समीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर संशोधित सेमेस्टर शुल्क संरचना पर अनुमोदन प्रदान किया है। एमसीए/एमबीए/एम.एड/एमएससी (उद्यानिकी)/एमटीटीएम (पर्यटन) और एलएलएम पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2019 में और उसके बाद प्रवेशित छात्रों के लिए संशोधित सेमेस्टर शुल्क संरचना।

सेमेस्टर शुल्क

	एमसीए	एमबीए	एम.एड	एमएससी (उद्यानिकी)	एमटीटीएम (पर्यटन)	एलएलएम
मौजूदा	8960	8960	8960	8960	8960	6720
संशोधित	6000	6000	6000	6000	6000	6000

विश्वविद्यालय के मौजूदा नियमों के अनुसार सेमेस्टर शुल्कों पर 2% वार्षिक वृद्धि के मानक मानदंड लागू होंगे।

वर्ष 2019 में प्रवेश के समय केवल सेमेस्टर शुल्क में किए गए अतिरिक्त भुगतान को वर्तमान सेमेस्टर के शुल्कों के साथ समायोजित किया जा रहा है। जिन छात्रों ने इस परिपत्र से पहले सेमेस्टर शुल्क का भुगतान किया है, उन्हें बैंक विवरण प्रस्तुत करने के बाद वापस कर दी जाएगी।

देवाशीष पाल

(देवाशीष पाल)

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. परीक्षा नियंत्रक के निजी सचिव
4. पुस्तकालयाध्यक्ष
5. सभी अध्ययन विद्यापीठों के डीन
6. डीन, छात्र कल्याण डीन
7. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
8. प्रोवोस्ट
9. वेबसाइट समिति - विश्वविद्यालय की वेबसाइट में परिपत्र को अपलोड करने हेतु
10. सभी सूचना पट
11. सुरक्षा फाइल